न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 03/2005

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, आबूरोड जिला सिरोही ।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री ईश्वरलाल पुत्र श्री अमृतलालजी कहार उचित मूल्य दुकानदार ग्राम गणका ग्राम पंचायत आकराभट्टा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ईश्वरलाल सैनी किराणा दुकानदार चांदमारी रोड प्राथमिक विद्यालय के सामने, आबूरोड जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. श्री , सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री राजेन्द्र पुरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय दिनांक 05.07.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 13.11.2002 को तहसीलदार आबूरोड द्वारा प्रार्थी को सूचना दी गई कि आकराभटटा स्थित हैण्डलिंग एजेन्ट राजस संघ के गोदाम से गेहूं की कालाबाजारी हो रही है उस सूचना पर प्रार्थी द्वारा मौके पर पहुंच कर वस्तुस्थिति की जानकारी की गई तो वक्त 11.00 ए. एम. पर राजस संघ आकराभट्टा के गोदाम पर जाकर गेहूं वितरण संबंधी जानकारी करने पर पाया कि दिनांक 13.11.2002 को मैसर्स ईश्वरलाल अमृतलाल कहार उ.मू. [illegible]. गणका को बिल संख्या 15069 द्वारा बी.पी.एल. गेहूं 5 क्वि. कुल 10 कट्टों में उपलब्ध करवाया गया है। यह लोडिंग टैम्पो संख्या आरजे 24-0358 के चालक श्री [illegible]राम धरमाजी कोली निवासी हेलीपेड के पास मानपुर के माध्यम से संस्था के बिल एवं वितरण रजिस्टर में हस्ताक्षर कराने के पश्चात भिजवाया गया। टेम्पों के साथ स्वयं की साईकिल पर अप्रार्थी संख्या एक भी रवाना हुआ रास्ते में उसे श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ईश्वरलाल सैनी अप्रार्थी संख्या [illegible] अप्रार्थी संख्या एक से उधार पैसे मांगता था। अतः उसने कहा कि [illegible] नहीं है आप 660/- रूपये प्रति क्विं. के हिसाब से गेहूं [illegible] कहा कि गेहूं दुकान पर पहुंचा दो इस पर उसके द्वारा टेम्पो चालक से कहा कि अपनी साईकिल पर आगे-आगे चल रहा हूं तुम टेम्पो लेकर मेरे पीछे-पीछे आ जाओ। इस [illegible] टेम्पों को अप्रार्थी संख्या दो की दुकान पर ले जाकर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा [illegible] 10 कट्टे गेहूं उतारा गया जो अप्रार्थी संख्या दो अपने किराणे की दुकान के अन्दर ले गया। उक्त गेहूं प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिया जाकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अधिनियम के तहत अपराध होने से गेहूं जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है। उक्त प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.09.2003 को निर्णित हो चुका था जिसकी अपील न्यायालय सैशन न्यायाधीश सिरोही में की गई। न्यायालय सैशन न्यायाधीश सिरोही द्वारा उक्त निर्णय अपास्त किए जाने से पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे एवं अप्रार्थी संख्या दो की अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 13.11.2002 को तहसीलदार आबूरोड द्वारा प्रार्थी को सूचना दी गई कि आकराभट्टा स्थित हैण्डलिंग एजेन्ट राजस संघ के गोदाम से गेहूं की कालाबाजारी हो रही है उस सूचना पर प्रार्थी द्वारा मौके पर पहुंच कर वस्तुस्थिति की जानकारी की गई तो वक्त 11.00 ए.एम. पर राजस संघ आकराभट्टा के गोदाम पर जाकर गेहूं वितरण संबंधी जानकारी करने पर पाया कि दिनांक 13.11.2002 को मैसर्स ईश्वरलाल अमृतलाल कहार उ.मू.वि. गणका को बिल संख्या 15069 द्वारा बी.पी.एल. गेहूं 5 क्वि. कुल 10 कट्टों में उपलब्ध करवाया गया है। यह लोडिंग टैम्पो संख्या आरजे 24–0358 के चालक श्री वेलाराम धरमाजी कोली निवासी हेलीपेड के पास मानपुर के माध्यम से संस्था के बिल एवं वितरण रजिस्टर में हस्ताक्षर कराने के पश्चात भिजवाया गया। टेम्पों के साथ स्वयं की साईकिल पर अप्रार्थी संख्या एक भी रवाना हुआ रास्ते में उसे श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ईश्वरलाल सैनी अप्रार्थी संख्या दो मिला वह अप्रार्थी संख्या एक से उधार पैसे मांगता था। अतः उसने कहा कि पैसे तो नहीं है आप 660/– रूपये प्रति क्विं. के हिसाब से गेहूं ले लो तब उसने सौदा मंजूर कर लिया एवं कहा कि गेहूं दुकान पर पहुंचा दो इस पर उसके द्वारा टेम्पो चालक से कहा कि अपनी साईकिल पर आगे–आगे चल रहा हूं तुम टेम्पो लेकर मेरे पीछे–पीछे आ जाओ। इस पर टेम्पों को अप्रार्थी संख्या दो की दुकान पर ले जाकर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा टेम्पों से 10 कट्टे गेहूं उतारा गया जो अप्रार्थी संख्या दो अपने किराणे की दुकान के अन्दर ले गया। उक्त गेहूं प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिया जाकर निस्तारण हेतु प्रकरण पेश है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:43 IST
Reason: Self Attested

अप्रार्थी संख्या एक की ओर से लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी ने दौराने बहस मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का कथन सर्वथा गलत है। कब्जे सरकार लिया गया गेहूं अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपने राशन की दुकान का शुभारम्भ करने हेतु प्राप्त किया परन्तु रास्ते में उसका टेम्पो खराब होने से उसने अपने मित्र की दुकान के बाहर उक्त गेहूं उतरवा कर टेम्पों ठीक कराने हेतु भेजा। प्रार्थी द्वारा

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उक्त गेहूं गलत ढंग से कब्जे सरकार लिया गया है। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा गलत ढंग से उक्त प्रकरण में उसे पक्षकार बनाया गया है। कब्जे सरकार लिए गए गेहूं से उसका कोई लेना देना नहीं है।

दोनो पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 13.11.2002 को तहसीलदार आबूरोड द्वारा प्रार्थी को सूचना दी गई कि आकराभट्टा स्थित हैण्डलिंग एजेन्ट राजस संघ के गोदाम से गेहूं की कालाबाजारी हो रही है उस सूचना पर प्रार्थी द्वारा मौके पर पहुंच कर वस्तुस्थिति की जानकारी की गई तो वक्त 11.00 ए.एम. पर राजस संघ आकराभट्टा के गोदाम पर जाकर गेहूं वितरण संबंधी जानकारी करने पर पाया कि दिनांक 13.11.2002 को मैसर्स ईश्वरलाल अमृतलाल कहार उ.मू.वि. गणका को बिल संख्या 15069 द्वारा बी.पी.एल. गेहूं 5 क्वि. कुल 10 कट्टों में उपलब्ध करवाया गया है। यह लोडिंग टैम्पो संख्या आरजे 24–0358 के चालक श्री वेलाराम धरमाजी कोली निवासी हेलीपेड के पास मानपुर के माध्यम से संस्था के बिल एवं वितरण रजिस्टर में हस्ताक्षर कराने के पश्चात भिजवाया गया। टेम्पों के साथ स्वयं की साईकिल पर अप्रार्थी संख्या एक भी रवाना हुआ रास्ते में उसे श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ईश्वरलाल सैनी अप्रार्थी संख्या दो मिला वह अप्रार्थी संख्या एक से उधार पैसे मांगता था। अतः उसने कहा कि पैसे तो नहीं है आप 660/– रूपये प्रति क्विं. के हिसाब से गेहूं ले लो तब उसने सौदा मंजूर कर लिया एवं कहा कि गेहूं दुकान पर पहुंचा दो इस पर उसके द्वारा टेम्पो चालक से कहा कि मैं अपनी साईकिल पर आगे–आगे चल रहा हूं तुम टेम्पो लेकर मेरे पीछे–पीछे आ जाओ। इस प्रकार टेम्पों को अप्रार्थी संख्या दो की दुकान पर ले जाकर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा टेम्पों से 10 कट्टे गेहूं उतारा गया जो अप्रार्थी संख्या दो अपने किराणे की दुकान के अन्दर ले गया। उक्त गेहूं को प्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिया गया है। जहां तक अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता का कथन है कि कब्जे सरकार लिया गया गेहूं अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अपने राशन की दुकान का शुभारम्भ करने हेतु प्राप्त किया परन्तु रास्ते में उसका टेम्पो खराब होने से उसने अपने मित्र की दुकान के बाहर उक्त गेहूं उतरवा कर टेम्पों ठीक कराने हेतु भेजा। उक्त कथन की पुष्टि के लिए इस न्यायालय द्वारा टेम्पो चालक श्री वेलाराम को नोटिस जारी किया गया जिस पर टैम्पो चालक श्री वेलाराम द्वारा दिनांक 15.06.2021 को स्वयं इस न्यायालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज किए गए जो शामिल पत्रावली किए गए। उक्त बयानों में टेम्पो चालक श्री वेलाराम द्वारा बताया गया कि उसका टैम्पों रास्ते में कहीं पर भी खराब नहीं हुआ था। श्री वेलाराम को अप्रार्थी संख्या एक ने गोदाम से 10 कट्टे गेहूं के लोडिंग कराए एवं स्वयं अपनी साईकिल से आगे–आगे चला एवं श्री [illegible] को पीछे–पीछे आने को कहा। जिस पर अप्रार्थी संख्या एक टेम्पों को चांदमारी रोड पर प्राथमिक स्कूल के सामने जहां अप्रार्थी संख्या दो की दुकान स्थित है, ले गया। जिस पर टेम्पो से उक्त गेहूं को चांदमारी रोड पर प्राथमिक स्कूल के सामने ही उतारा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 14:12:43 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त बयानों के अवलोकन से अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा टेम्पों के खराब होने के सम्बन्ध में किया गया कथन गलत प्रतीत होता है। पत्रावली के अवलोकन एवं टेम्पो चालक श्री वेलाराम द्वारा दिए गए बयानों से स्पष्ट है कि उचित

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मूल्य दुकानदार श्री ईश्वरलाल पुत्र श्री अमृतलाल कहार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 5, 14, 18 एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2001 के तहत दिए गए उचित मूल्य दुकानदारों के लिए प्रावधान एवं आदेश में दिए गए कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का स्पष्ट उल्लघंन किया है। उपरोक्त विवेचन से यह न्यायालय उक्त माल को जब्त सरकार किया जाना उचित मानता है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये कुल 05 क्विंटल गेहूं (10 कट्टा) को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है ।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए 05 क्विंटल गेहूं (10 कट्टा) का निस्तारण बी.पी.एल. परिवारों के उपभोक्ताओं को नियंत्रित दर अनुसार वितरण कर प्राप्त राशि राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner